

Form No. III

फर्द अहकाम

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, इटावा, जिला कोटा

नवान ललित किशोर बनाम शेराम चन्द वाई

किस्म मुकदमा पारा 53, 188 री.स.मि.न. 40 सन् 2019

तारीख हुक्स	हुक्स या कार्यवाही मय इनिशियल्स	नम्बर व ता. अहकाम जो इस हुक्स की तामील में जारी हुए
37/19	<p>वाइ, काशी ललित किशोर की शेराम चंद की 53, 188 री.स.मि.न. द्वारा 1888 दिनांक 11/11/19 रिपोर्ट सारित मय कबजोक्त दिनांक 11/11/19 वाइ, इन्डिपेंडेंट दिनांक 11/11/19 तारीखी जरी वहीनास की जरी संपन्न भेड मय की जाके भिन्न 11/11/19 तारीखी इन्डिपेंडेंट दिनांक 22-7-19 के पंजा ए</p>	
17-7-19	<p><del>पनावली-वादी के खीप हुकाई के काम मय काम भेड हुई। कादी के कर्मिकाप पेश मय सिन्देन किना है कि हुनके एक प्रति. मय । के काम सतीगत की-पुका है इन्डिपेंडेंट-वादी प्रमाण काम की है कर्मिकारी कती चाहना। पनावली का कामकाज विना, नमानदिके वादी का सार्विकार कर किना जाम कद बिही विने जान की हुनु कर्मिकाप की जानी है, पनावली कादिन की जानी है। पनावली के काम हुकाई मय कद नमानदिके वादी कादिन की है।</del></p>	<p>मैं वाइ सार्विकार 22/7/19 के सतीगत कामकाज ललित किशोर</p> <p><i>[Signature]</i> 19/7/19</p>